

भारतीय गैर न्यायिक

दस
रुपये

रु.10

भारत

TEN
RUPEES

Rs.10



INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

32AC 570026

समक्ष,
श्रीमान् निर्वाचन अधिकारी महोदय,
वाराणसी छण्ड शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र

शपथपत्र

शपथपत्र मिमजानिव अनिल कुमार पुत्र रामायन सिंह निवासी ग्राम जमशिला पो 0
बीना म 0 सं 0 - 90 तहसील दुहरी जिला सोनभद्र बहलफ निम्न बयान करता है:-
1- यह कि मुर्जीहर बहलफ, बयान करता है कि मुर्जीहर पता उपरोक्त का
निवासी है।

2- यह कि मुर्जीहर बहलफ, बयान करता है कि प्रारूप - 26 के निर्वाचनो का संघ
लैन नियम 1961 का नियम 4क में जो भी तथ्य दिया गया है उसे इस शपथपत्र के
साथ समर्थित मानते हुए पढ़ा जाय ।

मैं कि मुर्जीहर उपरोक्त तसदीक करता हूँ कि कुल मजमून शपथपत्र पैरा ।
ता 2 सब सब व सही है कोई बात झूठ व छिपायी नहीं गयी है।

दिनांक - 4-3-14 ई 0

मुर्जीहर



(Signature)
A.K. Singh



वाराणसी शरद शिक्षक

निर्वाचन क्षेत्र से

(निर्वाचन क्षेत्र का नाम)

विधान परिषद (सदन का नाम) के लिए निर्वाचन के लिए रिटर्निंग आफिसर के समक्ष अम्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला शपथ पत्र

भाग-क

मैं अनिल कुमार पुत्र/पुत्री/पत्नी रामायन सिंह आयु 48 वर्ष
जो 210-जमशिला, पो-वीना, म०स०-90 (डाक का पूरा पता लिखें) का/की निवासी हूँ और उपरोक्त निर्वाचन से
र०-डुही, सोनभद्र अम्यर्थी हूँ सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ/करती हूँ/शपथ पर निम्नलिखित कथन करता हूँ/करती हूँ :-

1. मैं अनिल कुमार (**राजनैतिक दल का नाम) द्वारा खड़ा किया गया अम्यर्थी/**एक स्वतंत्र अम्यर्थी के रूप में लड़ रहा हूँ।

(**जो लागू न हो उसे काट दें)

2. मेरा नाम डुही, 403 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र और राज्य का नाम) में भाग संख्या 35 के क्रम सं० 265 पर प्रविष्ट हूँ।

3. मेरा सम्पर्क टेलीफोन नम्बर 9415391748 है और मेरा ई-मेल आईडी (यदि कोई हो तो) X है।

4. स्थायी लेखा सख्यांक (पैन) के व्यौरे और आयकर विवरणी फाइल करने की प्राप्ति :

क्र०सं०	नाम	पैन	वित्तीय वर्ष जिसके लिए अन्तिम आयकर विवरणी फाइल की गयी है।	आयकर विवरणी में उपदर्शित कुल आय (रुपये में)
1.	स्वयं <u>अनिल कुमार</u>	<u>AKRPG0704G</u>	<u>X</u>	<u>X</u>
2.	पति या पत्नी <u>माया सिंह</u>	<u>X</u>	<u>X</u>	<u>X</u>
3.	आश्रित-1 <u>अंकुश कुमार सिंह</u>	<u>X</u>	<u>X</u>	<u>X</u>
4.	आश्रित-2 <u>अंकित कुमार सिंह</u>	<u>X</u>	<u>X</u>	<u>X</u>
5.	आश्रित-3..... <u>X</u>	<u>X</u>	<u>X</u>	<u>X</u>



Prakash Nath
A.K.A.

5. मैं ऐसे किसी लम्बित मामले में दो वर्ष या अधिक के कारावास से दंडनीय किसी अपराध (अपराधों) का/की अभियुक्त नहीं हूँ जिसमें सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा आरोप विरचित किया गया है/किए गए हैं।

यदि अभिसाक्षी ऐसे किसी अपराध (अपराधों) का/की अभियुक्त है तो वह निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करेगा/करेंगी।

(i) निम्नलिखित मामला (मामले) मेरे विरुद्ध लम्बित हैं, जिसमें दो वर्ष या अधिक के कारावास से दण्डनीय किसी अपराध के लिए न्यायालय द्वारा आरोप विरचित किया गया है/किए गए हैं :-

(क)	मामला/प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या/संख्याओं सहित सम्बन्धित पुलिस थाना/जिला/राज्य के पूर्ण व्यौरे	188/86, 411-1144/1 जि०-मिर्जापुर, वर्तमान-सो०-भड, 3040
(ख)	सम्बन्धित अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएँ) और अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिए आरोपित किया गया है।	395 IPC
(ग)	न्यायालय का नाम, मामला संख्या और संज्ञान लेने के आदेश की तारीख	ज०-47 पं सं-4141/श, सो०-भड STN-49/01, 15-2-2000
(घ)	न्यायालय, जिसके (जिनके) द्वारा आरोप (आरोपों) की विरचना की गई	प्रथम अप (ज०-47-1144/श), सो०-भड
(ङ)	तारीख (तारीखें) जिनको आरोप विरचित किये गये थे	20/5/2001
(च)	क्या सभी या कोई कार्यवाही किसी सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा रोकी गयी है/हैं	नहीं।

(ii) निम्नलिखित मामला (मामले) मेरे विरुद्ध लम्बित हैं/हैं, जिनमें न्यायालय द्वारा संज्ञान लिया गया है [पूर्वोक्त मद (i) में वर्णित मामलों से भिन्न] :-

(क)	न्यायालय का नाम, मामला संख्या और संज्ञान लेने के आदेश की तारीख	नहीं।
(ख)	उन मामलों के व्यौरे जहाँ न्यायालय ने संज्ञान लिया है, अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएँ) और अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिए संज्ञान लिया गया है	नहीं।
(ग)	पूर्वोक्त आदेश (आदेशों) के विरुद्ध पुनरीक्षण के लिए फाइल की गई अपील (अपीलों)/आवेदन (आवेदनों) (यदि कोई हो) के व्यौरे	नहीं।


6- मुझे किसी अपराध (अपराधों) (लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 8 की उपधारा (1) या उपधारा (2) में निर्दिष्ट या उपधारा (3) के अन्तर्गत आने वाले किसी अपराध (अपराधों) से भिन्न के लिये सिद्धदोष ठहराया गया है/नहीं ठहराया गया है और सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा आरोप विरचित किया गया है/किए गए हैं।

यदि अभिसाक्षी उपर्युक्त रूप में सिद्धदोष ठहराया गया और दंडादिष्ट किया गया है तो वह निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करेगा निम्नलिखित मामलों में मुझे सिद्धदोष ठहराया गया है और न्यायालय द्वारा कारावास का दण्डादेश दिया गया है :-

(क)	उन मामलों के व्यौरे, अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएँ) और अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिए सिद्धदोष ठहराया गया है	नहीं।
(ख)	न्यायालय (न्यायालयों) का नाम, मामला संख्या और आदेश (आदेशों) की तारीख (तारीखें)	नहीं।
(ग)	अधिरोपित दण्ड	नहीं।
(घ)	क्या सिद्धदोष ठहराने के आदेश के विरुद्ध कोई अपील फाइल की गयी थी/है। यदि हाँ तो अपील के व्यौरे और वर्तमान प्रस्थिति	नहीं।

Sh. Anil

A.K. Sharma



7. मैं मेरे, मेरे पति या पत्नी और सभी आश्रितों की आस्तियों (जंगम और स्थावर आदि) के ब्यौरे नीचे देता हूँ :-

अ- जंगम आस्तियों के ब्यौरे :

टिप्पण-1 संयुक्त स्वामित्व की सीमा को उपदर्शित करते हुए संयुक्त नाम में आस्तियों का भी विवरण दिया जाना है।

टिप्पण-2 जमा/विनिधान की दशा में सं०, रकम, जमा की तारीख, स्कीम, बैंक/संस्था का नाम और शाखा सहित ब्यौरे दिए जाने हैं।

टिप्पण-3 सूचीबद्ध कम्पनियों के सम्बन्ध में बंधपत्रों/शेयर डिबेंचरों का मूल्य स्टॉक एक्सचेंजों में चालू बाजार मूल्य के अनुसार और गैर सूचीबद्ध कम्पनियों की दशा में लेखाबहियों के अनुसार दिया जाना चाहिए।

टिप्पण-4 यहाँ आश्रित का वही अर्थ है जो उसका लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 75क के अधीन स्पष्टीकरण (5) में है।

टिप्पण-5 रकम सहित ब्यौरे प्रत्येक विनिधान के सम्बन्ध में पृथकतया दिए जाने हैं।

क्र० सं०	विवरण	स्वयं	पति/पत्नी के नाम	आश्रित-1 के नाम	आश्रित-2 के नाम	आश्रित-3 आदि के नाम
(i)	हाथ में नकदी	30,000/	50000/	शू-प	शू-प	शू-प
(ii)	बैंक खातों में जमा के ब्यौरे (नियत जमा, आवधिक जमा और अन्य सभी प्रकार के जमा जिसमें बचत खाते भी हैं) वित्तीय संस्थाओं, गैर बैंककारी वित्तीय कंपनियों और सहकारी सोसाइटियों के पास जमा और ऐसे प्रत्येक जमा में रकम।	SBI बी० 1500/ UBI 21/11/17 8500/	शू-प	शू-प	शू-प	शू-प
(iii)	कम्पनियों/पारस्परिक निधियों और अन्य में बन्धपत्रों, डिबेंचरों/शेयरों तथा यूनिटों में विनिधान के ब्यौरे और रकम	शू-प	शू-प	शू-प	शू-प	शू-प
(iv)	राष्ट्रीय बचत योजना, डाक बचत, बीमा पालिसियों में विनिधान के ब्यौरे और डाक घर या बीमा कम्पनी में किन्हीं वित्तीय लिखतों में विनिधान और रकम	बीमा पालिसी LIC 20000/	शू-प	शू-प	शू-प	शू-प
(v)	किसी व्यक्ति या निकाय जिसमें फर्म, कम्पनी, न्यास आदि को दिए गए वैयक्तिक ऋण/अग्रिम और ऋणियों से अन्य प्राप्य तथा रकम	शू-प	शू-प	शू-प	शू-प	शू-प
(vi)	मोटरयान/वायुयान/बोट/प्रोत्त (मेक रजिस्ट्रीकरण संख्या आदि कय करने का वर्ष और रकम)	पोल्सो UP 64B- 0358	शू-प	शू-प	शू-प	शू-प
(vii)	जेवरात, बुलियन और मूल्यवान वस्तु (वस्तुएं) (भार और मूल्य के ब्यौरे)	अपक-2011 श्रीमद-583000/ श्रीमद-2000 श्रीमद-2000 श्रीमद-2000	शू-प	शू-प	शू-प	शू-प
(viii)	कोई अन्य आस्तियों जैसेकि दावों/हित का मूल्य	DBB लान श्रीमद-9500	शू-प	शू-प	शू-प	शू-प
(ix)	समग्र कुल मूल्य	862500/	155000/	शू-प	शू-प	शू-प




(Signature)
A.K. Singh

(ब) स्थावर आस्तियों के त्वारे -

टिप्पण-1 संयुक्त स्वामित्व की सीमा को उपदर्शित करते हुए संयुक्त नाम में आस्तियों का भी विवरण दिया जाना है।


टिप्पण-2 प्रत्येक भूमि या भवन या अपार्टमेन्ट का इस प्रारूप में पृथकतया वर्णन किया जाना चाहिए।

क्र० सं०	विवरण	स्वयं	पति/पत्नी के नाम	आश्रित-1 के नाम	आश्रित-2 के नाम	आश्रित-3 आदि के नाम
(i)	कृषि भूमि की अवस्थिति (अवस्थितियों) सर्वेक्षण सं० (संख्याएँ)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	क्षेत्रफल (एकड़ में कुल माप)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	क्या विरासत में आई संपत्ति है? (हाँ या नहीं)	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
	स्वार्जित संपत्ति की दशा में कय की तारीख	X	X	X	X	X
	कय के समय भूमि की लागत (कय की दशा में)	X	X	X	X	X
	विकास, स्वनिर्माण आदि के माध्यम से भूमि पर कोई विनिधान	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
(ii)	गैर-कृषि भूमि अवस्थिति (अवस्थितियों) सर्वेक्षण सं० (संख्याएँ)	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
	क्षेत्र (वर्गफुट में कुल माप)	X	X	X	X	X
	क्या विरासत आई संपत्ति है? (हाँ या नहीं)	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
	स्वार्जित संपत्ति की दशा में कय की तारीख	X	X	X	X	X
	कय के समय भूमि की लागत (कय की दशा में)	X	X	X	X	X
	विकास, स्वनिर्माण आदि के माध्यम से भूमि पर कोई विनिधान	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
	अनुमानित चालू बाजार मूल्य	X	X	X	X	X



Prakash Nath Dubey
R.N. 24(22)2001
VARANASI

(iii) वाणिज्यिक भवन (अपार्टमेंट सहित) अवस्थिति (अवस्थितियों) सर्वेक्षण संख्यांक (संख्याएं)	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप)	X	X	X	X	X
निर्मित क्षेत्र (वर्गफुट में कुल माप)	X	X	X	X	X
क्या विरासत में आई सम्पत्ति है (हाँ या नहीं)	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
स्वअर्जित सम्पत्ति की दशा में कय की तारीख	X	X	X	X	X
कय के समय भूमि की लागत (कय की दशा में)	X	X	X	X	X
विकास, सनिर्माण आदि के माध्यम से सम्पत्ति पर कोई विनिधान	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
अनुमानित चालू बाजार मूल्य	X	X	X	X	X
(iv) आवासीय भवन (अपार्टमेंट सहित) अवस्थिति (अवस्थितियों) सर्वेक्षण संख्यांक (संख्याएं) सर्वेक्षण सं०	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप)	X	X	X	X	X
निर्मित क्षेत्र (वर्गफुट में कुल माप)	X	X	X	X	X
क्या विरासत में आई सम्पत्ति है (हाँ या नहीं)	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
स्वअर्जित सम्पत्ति की दशा में कय की तारीख	X	X	X	X	X
कय के समय भूमि की लागत (कय की दशा में)	X	X	X	X	X
विकास, सनिर्माण आदि के माध्यम से भूमि पर कोई विनिधान	X	X	X	X	X



Prakash Nath
R.N-24(22)

	अनुमानित चालू बाजार मूल्य	X	X	X	X	X
(v)	अन्य (जैसेकि संपत्ति में हित)	X	X	X	X	X
(vi)	पूर्वोक्त (i) से (v) का कुल चालू बाजार मूल्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

8- मैं लोक वित्तीय संस्थाओं और सरकार के प्रति दायित्वों/को शोध्यों के ब्यौरे नीचे देता हूँ :-

(टिप्पण : कृपया बैंक, संस्था, निकाय या व्यक्ति के नाम और उनमें प्रत्येक के समस्त रकम के ब्यौरों का पृथक विवरण दे)

क्र० सं०	विवरण	स्वयं	पति/पत्नी के नाम	आश्रित-1 के नाम	आश्रित-2 के नाम	आश्रित-3 आदि के नाम
(i)	बैंक/वित्तीय संस्था/संस्थानों को ऋण या शोध बैंक या वित्तीय संस्था का नाम, बकाया रकम, ऋण की प्रकृति	महि-51 फाइनेंस बकाया रकम/ऋण 460000/ वोलेंट्री बरतने वाले	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	पूर्वोक्त वर्णित से भिन्न किन्हीं अन्य व्यष्टिकों, निकाय को ऋण या शोध्य नाम, बकाया रकम, ऋण की प्रकृति	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	कोई अन्य दायित्व	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	दायित्वों का कुल योग	4.60,000/	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(ii)	सरकारी शोध्य : सरकारी आवास से बरतने वाले विभागों को शोध्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	अल आपूर्ति से बरतने वाले विभाग को शोध्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	विद्युत आपूर्ति से बरतने वाले विभाग को शोध्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	टेलीफोन / मोबाइल आपूर्ति से बरतने वाले विभाग को शोध्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	सरकारी परिवहन (वायुयान और हेलिकॉप्टर सहित) से बरतने वाले विभाग को शोध्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	आयकर शोध्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	धन कर शोध्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य



(Signature)
A.K. Sharma

	सेवा कर शोध	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
	नगरपालिका/संपत्ति कर शोध	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
	विक्रय कर शोध	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
	कोई अन्य शोध	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
(iii)	सभी सरकारी शोधों का कुल योग-	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
(iv)	क्या कोई अन्य दायित्व विवादाधीन है, यदि हाँ तो अंतर्वलित रकम और उस प्राधिकारी जिसके समक्ष यह लंबित है का वर्णन करें।	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं

9- वृत्ति या उपजिविका के ब्यौरे :

क. स्वयं प्राइवेट ट्यूशन
ख. पति या पत्नी गृहणी

10- मेरी शैक्षिक अर्हता नीचे दिए अनुसार है :-


इंटर कालेज करण्डा, गाजीपुर-1981 - इंटरमीडिएट
इंटर कालेज करण्डा, गाजीपुर-1979 हाईस्कूल

(प्रमाण पत्र/डिप्लोमा/डिग्री पाठ्यक्रम के पूर्ण प्ररूप का उल्लेख करते हुये उच्चतम विद्यालय/विश्वविद्यालय शिक्षा का ब्यौरे देते हुये विद्यालय/महाविद्यालय/विश्वविद्यालय का नाम और उस वर्ष जिसमें पाठ्यक्रम पूरा किया गया था, का ब्यौरा दें)

भाग-ख

11- भाग-क के (1) से (10) तक में दिये गये ब्यौरों का उद्धरण :

अभ्यर्थी का नाम	श्री/श्रीमती/कुमारी <u>अनिल कुमार</u>
डक का पूरा पता	<u>गा०-जमश्रीबा, म०स०-१०</u> <u>पो०-बीना, त०-दुर्ग, ख०-भद्र</u>
निर्वाचन क्षेत्र की संख्या और नाम तथा राज्य	
उस राजनैतिक दल का नाम जिसने अभ्यर्थी को खड़ा किया है (अन्यथा स्वतंत्र लिखें)	<u>कोई नहीं</u>
5 (क) ऐसे लंबित मामलों की कुल संख्या जिनमें दो वर्ष या अधिक के कारावास से दण्डनीय अपराधों के लिए न्यायालय द्वारा आरोप विरचित किये गये हैं।	<u>रुक</u>




अनिल कुमार
Prakash Nath

(ख) ऐसे मामलों की कुल संख्या जिनमें न्यायालय (न्यायालयों) ने संज्ञान लिया है (ऊपर मद (i) उल्लिखित मामलों से भिन्न)	नहीं
6. ऐसे कुल मामलों की संख्या जिनमें सिद्धोप उहराया गया एक वर्ष या उससे अधिक के लिए कारावास से और दण्डित किया गया है। (लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 8 की उप धारा (1) उपधारा (2) या उप धारा (3) में निर्दिष्ट अपराधों के सिवाए)	नहीं

7. का स्थायी लेखा संख्या	वह वर्ष जिसके लिए अन्तिम आयकर विवरणी फाइल की गयी है	कुल दर्शित आय
(क) अभ्यर्थी	AKRPG0704- ७	नहीं	X
(ख) पति या पत्नी	नहीं	नहीं	नहीं
(ग) आश्रित	नहीं	नहीं	नहीं

8. आस्तियों और दायित्वों के ब्यौरे (रूपये में)							
	विवरण	स्वयं	पति/पत्नी	आश्रित-1	आश्रित-2	आश्रित-3	
क	जंगम आस्तियाँ (कुल मूल्य)	862500/	155000/	नहीं	नहीं	नहीं	
ख	स्थावर आस्तियाँ	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	
(i)	स्वार्जित स्थावर सम्पत्ति की कय कीमत	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	
(ii)	कय के पश्चात स्थावर सम्पत्ति की विकास/सन्निर्माण लागत (यदि लागू हो)	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	
 की	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	
(iii)	अनुमानित वर्तमान बाजार कीमत	900000/	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	
(क)	स्वार्जित आस्तियाँ (कुल मूल्य)	300000/	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	
(ख)	विरासती आस्तियाँ (कुल मूल्य)	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	
9. दायित्वः							
(i)	सरकारी शोध्य (कुल)	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	
(ii)	बैंक वित्तीय संस्थाओं और अन्य से ऋण (कुल)	460000/	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	
10. ऐसे दायित्व जो विवादाधीन हैं							
(i)	सरकारी शोध्य (कुल)	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	
(ii)	बैंक वित्तीय संस्थाओं और अन्य से ऋण (कुल)	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	



Prakash Nath

उच्चतम शैक्षिक अर्हता : इन्टरमीडिएट, इन्टर कॉलेज कच्छा गान्धीपुर

(प्रमाणपत्र/डिप्लोमा/डिग्री पाठ्यक्रम के पूर्ण प्ररूप का उल्लेख करते हुये उच्चतम विद्यालय/विश्वविद्यालय शिक्षा, विद्यालय/महाविद्यालय/विश्वविद्यालय का नाम और वर्ष जिसमें पाठ्यक्रम पूरा किया गया था, का ब्यौरा दें।)

सत्यापन

मैं, ऊपर उल्लिखित, अभिसाक्षी इसके द्वारा यह सत्यापन और घोषणा करता हूँ कि इस शपथ पत्र की विषयवस्तु मेरी

सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है, और इसका कोई भाग मिथ्या नहीं है तथा इसमें से कोई भी तात्विक तथ्य नहीं

छिपाया गया है। मैं यह और घोषणा करता हूँ कि :-

क- मेरे विरुद्ध ऊपर भाग क और ख की मद 5 और 6 में उल्लिखित दोषसिद्धि का मामला या लम्बित मामले से भिन्न कोई दोषसिद्धि का मामला या लम्बित मामला नहीं है।

ख- मेरे पति या पत्नी या मेरे आश्रितों के पास ऊपर भाग-क की मद 7 और 8 तथा भाग ख की मद 8, 9 और 10 में उल्लिखित आसित या दायित्व से भिन्न कोई आसित या दायित्व नहीं है।

आज मेरी ख का सत्यापित किया गया।

टिप्पण:

1. शपथपत्र नामांकन फाइल करने के अंतिम दिन को 3.00 बजे अपरान्ह तक फाइल किया जाना चाहिए।
2. शपथपत्र पर किसी शपथकमिशनर या प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट के समक्ष या किसी नोटरी पब्लिक के समक्ष शपथ ली जानी चाहिए।
3. सभी स्तम्भों को भरा जाना चाहिए और कोई स्तम्भ खाली न छोड़े, यदि किसी मद के सम्बन्ध में देने के लिए कोई जानकारी नहीं है तो यथा स्थिति "शून्य" या "लागू नहीं होता" उल्लिखित किया जाना चाहिए।
4. शपथपत्र का प्रमाणपत्र रूप से साफ लिखित होना चाहिए।

Solemnly affirmed before me today
by the deponent/Identified By
.....
The Deponents of this affidavit/Agreement
were read over by the deponent who
verified them to be true

P.N Dubey
NOTARY Varanasi

4/3/14